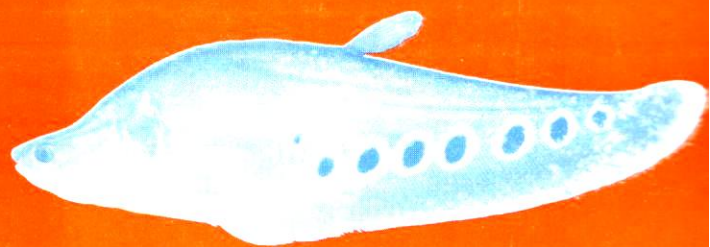


**सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम 'ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट
एण्ड मैनेजमेन्ट ऑफ फिशरीज' योजना की
प्रदेश से सम्बन्धित प्रमुख परियोजनाओं का विवरण।**



मत्स्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश

7, फैजाबाद रोड, बाबूगंज, लखनऊ - 226020

दूरभाष : 0522 2740414, 2740067 फैक्स : 0522-2740483

ई-मेल : fisheries.mpr@gmail.com, up.fish@nic.in,
blue.revo.fisheries@gmail.com

वेबसाईट : <http://fisheries.upsdc.gov.in>

सौजन्य से :
नीली क्रान्ति योजना, भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण (पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग) मंत्रालय, भारत सरकार
द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार योजनाओं का इकाई लागत एवं अनुदान राशि का विवरण

क्र.सं.	घटक / परियोजनायें	इकाई लागत (रूपये में)	अधिकतम वित्तीय सहायता (रूपये में)	
			सामान्य वर्ग (40%)	महिला/अनुवर्ग/अनुवर्ग वर्ग (60%)
I)	समुद्री मात्स्यिकी का विकास, अवस्थापना एवं पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना			
क.	पोस्ट-हार्वेस्ट अवसंरचना का विकास बर्फ संयंत्र, शीत भण्डारण, बर्फ संयंत्र, शीत भण्डारण			
1.	पोस्ट-हार्वेस्ट अवसंरचना का विकास 1) बर्फ संयंत्र 2) शीत भण्डारण 3) बर्फ संयंत्र सह शीत भण्डारण	2.50 लाख / टन	40 लाख / प्लान्ट	60 लाख / प्लान्ट
2.	मौजूदा का नवीनीकरण/आधुनिकीकरण 1) बर्फ संयंत्र 2) शीत भण्डारण 3) बर्फ संयंत्र-सह-शीत भण्डारण	1.50 लाख / टन	24 लाख / प्लान्ट	36 लाख / प्लान्ट
3.	खुदरा मछली बाजारों और सहायक अवसंरचना का विकास 1) 10 खुदरा आउट लेट्स 2) 20 खुदरा आउट लेट्स 3) 50 आउट लेट्स- (20 खुदरा आउट लेट्स और 50 आउट लेट्स यूनिट के साथ सामान्य शीत भण्डारण सुविधा, अवशिष्ट संग्रहण और निस्तारण यूनिट, मछली सफाई और ड्रेसिंग स्थान, नीलामी प्लेटफार्म, जल और विद्युत आपूर्ति सुविधाएं आदि)	1) 10 यूनिट खुदरा आउट लेट्स- 100 लाख 2) 20 यूनिट खुदरा आउट लेट्स-200 लाख 3) 50 यूनिट अथवा अधिक खुदरा आउट लेट्स-500 लाख	1) 10 यूनिट खुदरा आउट लेट्स- 40 लाख 2) 20 यूनिट खुदरा आउट लेट्स-80 लाख 3) 50 यूनिट अथवा अधिक खुदरा आउट लेट्स-200 लाख	1) 10 यूनिट खुदरा आउट लेट्स- 60 लाख 2) 20 यूनिट खुदरा आउट लेट्स-120 लाख 3) 50 यूनिट अथवा अधिक खुदरा आउट लेट्स-300 लाख
4.	मोबाइल/खुदरा मछली आउटलेट्स की स्थापना (कियोस्क)	10 लाख/यूनिट	4 लाख/यूनिट	6 लाख/यूनिट
ख.	मछली परिवहन अवसंरचना के लिए सहायता			
5.	10 टन क्षमता का रेफ्रिजरेटेड ट्रक/कंटेनर	25 लाख / ट्रक	10 लाख/ट्रक	15 लाख/ट्रक
6.	न्यूनतम 10 टन क्षमता का इन्सूलेटेड ट्रक	20 लाख / ट्रक	8 लाख/ट्रक	12 लाख/ट्रक
7.	न्यूनतम 6 टन क्षमता का इन्सूलेटेड ट्रक	15 लाख / ट्रक	6 लाख/ट्रक	9 लाख/ट्रक
8.	आइस बॉक्स समेत आटोरिक्षा	2 लाख/यूनिट	0.80 लाख/यूनिट	1.2 लाख/यूनिट
9.	आइस बॉक्स समेत मोटर-साईकिल	0.60 लाख / यूनिट	0.24 लाख/यूनिट	0.36 लाख/यूनिट
10.	आइस बॉक्स समेत साईकिल	रु. 3000 / यूनिट	रु. 1200/यूनिट	रु. 1800/यूनिट
ग.	इनोवेटिव गतिविधियाँ (नवचारी क्रियाकलाप)			
11.	नवचारी क्रियाकलाप	वास्तविक(अधिकतम 1 करोड़ तक)	40 लाख	60 लाख
II)	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना			
12.	बचत-सह-राहत	रु. 3000/मछुआरा/वर्ष	रु. 3000/मछुआरा/वर्ष से अधिक नहीं	रु. 3000/मछुआरा/वर्ष से अधिक नहीं
13.	मछुआरों के लिए आवास	1.20 लाख/आवास	1.20 लाख/आवास	1.20 लाख/आवास
14.	मछुआरों के लिए अन्य मूलभूत सुविधाएँ			
14.1)	पेयजल सुविधा (ट्यूबवेल)	0.50 लाख/ट्यूबवेल	0.5 लाख/ट्यूबवेल	0.5 लाख/ट्यूबवेल
14.2)	स्वच्छता जलापूर्ति और विद्युतीकरण सुविधाओं के साथ सामुदायिक भवन का निर्माण	4.00 लाख/यूनिट	4.00 लाख/यूनिट	4.00 लाख/यूनिट
15)	सक्रिय मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा-(बीमा प्रीमियम की दर वर्ष आधार पर परिवर्तन का विषय है) नोट-जब तक इस योजना का पीएमएसबीवाई के साथ अभिसरण का अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं ले लिया जाता।	रु. 20.34/मछुआरा/वर्ष	रु. 20.34/मछुआरा/वर्ष	रु. 20.34/मछुआरा/वर्ष
III)	अन्तर्स्थलीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास			
क.	ताजा जल/खारा जल जलकृषि का विकास			
16.	नये तालाबों/टैंकों का निर्माण (इनलेट/आउटलेट का निर्माण, जलापूर्ति के लिए सिविल कार्य और वायुसंचरण उपकरण, पूरक आहार, भण्डारण शेड आदि शामिल है)	7 लाख / हेक्टेयर	2.80 लाख / हेक्टेयर	4.20 लाख / हेक्टेयर

17.	मौजूदा तालाबों/टैंकों का नवीनीकरण (बंधों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण, विद्युत और जलापूर्तिकार्य तथा अन्य सामान/उपकरण मरम्मत, गाद निकालना, इनलेट/आउटलेट की मरम्मत/स्थापना, जल निष्कासन आदि)	3.5 लाख/हेक्टेयर	1.40 लाख/हेक्टेयर	2.10 लाख/हेक्टेयर
18.	मनरेगा तालाब और टैंकों का नवीनीकरण, विभिन्न राज्य सरकार/केंद्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्मित नये जल निकायों जिसमें आर्द्रभूमि विकास विभाग आदि शामिल हैं।	3.5 लाख/हेक्टेयर	1.40 लाख/हेक्टेयर	2.10 लाख/हेक्टेयर
19.	मत्स्य पालन के लिए शहरी/अर्द्धशहरी/ग्रामीण झीलों/ टैंकों का जीर्णोद्धार	1.5 लाख/हेक्टेयर	0.60 लाख/हेक्टेयर	0.90 लाख/हेक्टेयर
ख.	ताजा जल मछली पालन और खाद्य जल मछली पालन हेतु निवेश लागत			
20.	ताजा जल हेतु मछली पालन (यूनिट लागत में मछली/झींगा बीज, आहार, खाद, रोग रोकने के उपाय, परिवहन दर इत्यादि शामिल है)	1.5 लाख/हेक्टेयर	0.60 लाख/हेक्टेयर	0.90 लाख/हेक्टेयर
21.	मत्स्य बीज हैचरियों की स्थापना (भारतीय मेजर कार्प और अन्य विशेष प्रजातियाँ)-10 मिलियन फ्राई प्रति वर्ष क्षमता एवं न्यूनतम क्षेत्रफल 2.0 हेक्टेयर निर्माण हेतु)	25 लाख/यूनिट	10 लाख/यूनिट	15 लाख/यूनिट
22.	ताजा जल/खारा जल झींगा हैचरियों की स्थापना-पांच मिलियन पोस्ट लार्वा प्रति वर्ष की क्षमता	50 लाख/यूनिट	20 लाख/यूनिट	30 लाख/यूनिट
23.	तिलापिया हैचरी 10 लाख प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता	25 लाख/यूनिट	10 लाख/यूनिट	15 लाख/यूनिट
24.	जलकृषि के लिए सौर ऊर्जा सहायता प्रणाली	15 लाख/यूनिट	6 लाख/यूनिट	9 लाख/यूनिट
ग.	जल प्लावित क्षेत्रों का विकास			
25.	जल प्लावित क्षेत्रों का विकास	5.00 लाख/हेक्टेयर	2 लाख/हेक्टेयर	3 लाख/हेक्टेयर
26.	विकसित जल प्लावित क्षेत्रों हेतु निवेश लागत (यूनिट लागत में मछली/झींगा बीज, आहार, खाद, रोग रोकने के उपाय, परिवहन दर इत्यादि) 1. मत्स्य पालन 2. झींगा पालन	1.50 लाख/हेक्टेयर 2.50 लाख/हेक्टेयर	0.60 लाख/हेक्टेयर 1.00 लाख/हेक्टेयर	0.90 लाख/हेक्टेयर 1.50 लाख/हेक्टेयर
घ.	अन्तर्देशीय कैप्चर मात्स्यिकी (गाँव के तालाब, टैंक इत्यादि)			
27.	मत्स्य बीज रियरिंग इकाई की स्थापना	6 लाख/हेक्टेयर	2.40 लाख/हेक्टेयर	3.60 लाख/हेक्टेयर
28.	रियरिंग इकाई हेतु निवेश लागत (यूनिट लागत में मछली/झींगा बीज, आहार, खाद, रोग रोकने के उपाय, परिवहन दर इत्यादि) 1. मत्स्य पालन 2. झींगा पालन	1.50 लाख/हेक्टेयर 2.50 लाख/हेक्टेयर	0.60 लाख/हेक्टेयर 1.00 लाख/हेक्टेयर	0.90 लाख/हेक्टेयर 1.50 लाख/हेक्टेयर
29.	क्राफ्ट एवं गियर (यूनिट : मत्स्यन जालों, मछली और बर्फ रखने वाले बॉक्स इत्यादि सहित उचित आकार के नाव)	1 लाख/यूनिट	0.40 लाख/यूनिट	0.60 लाख/यूनिट
30.	मछली उतारने के लिए प्लेटफार्मों हेतु केंद्रों का निर्माण (उतारने और बर्थिंग प्लेटफार्म, मछली की नीलामी हेतु प्लेटफार्म/हॉल का निर्माण, जालों की बुनाई व मरम्मत हेतु शेड इत्यादि)	4.00 लाख/यूनिट	1.60 लाख/यूनिट	2.40 लाख/यूनिट
31.	नदियों में मत्स्य संपदा के संरक्षण और जागरूकता कार्यक्रम (रिवर रैन्विंग)	4.00 लाख/वर्ष	—	—
ड.	जलाशयों का एकीकृत विकास			
32.	जलाशयों का एकीकृत विकास (प्रस्ताव विस्तृत कार्यकलापों जैसे कृषि पूर्व तैयारी, बंधों का सुदृढ़ीकरण, गाद निकालना, खरपतवार उन्मूलन, हैचरियाँ, मछली पालन यूनिट, मछली स्टॉकिंग, केज कल्चर, फीड मिल, नाव/जाल मछली उतारने के केंद्र, शीत भण्डार, बर्फ संयंत्र, दुलाई सुविधाएँ इत्यादि)	वास्तविक के अनुसार	80 लाख/यूनिट	120 लाख/यूनिट

च. मछली आहार हेतु फीड मिलों/संयंत्रों की संस्थापना				
33.	लघु फीड मिल (1 से 5 क्विण्टल/दिन की क्षमता)	10 लाख/यूनिट	4 लाख/यूनिट	6 लाख/यूनिट
34.	वृहद पैलेटाइज्ड फीड मिल/पैलेट आहार संयंत्र (10 टन/दिन या अधिक)	एक करोड़	40 लाख/यूनिट	60 लाख/यूनिट
छ. जलाशयों और अन्य खुले जल निकायों में केजों और पेन्स की स्थापना				
35.	जलाशयों और अन्य खुले जल निकायों में निवेश लागत सहित केज/पेन की स्थापना	3.00 लाख/केज	1.20 लाख/केज	1.80 लाख/केज
ज. रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आर.ए.एस.)/पुर्न परिभ्रमण जल जीव पालन पद्धति				
36.	कम लागत रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आर.ए.एस.) यूनिट की स्थापना	50 लाख/यूनिट	20 लाख/यूनिट	30 लाख/यूनिट
झ. बील्स/वेटलैण्ड्स में मत्स्य अंगुलिका संचयन कार्यक्रम				
37.	बील्स/वेटलैण्ड्स में भारतीय मेजर कार्प की २००० मत्स्य अंगुलिका प्रति हेक्टेयर की दर से मत्स्य बीज संचयन कार्यक्रम	रु. 2.50/फिंगरलिंग्स	रु. 1.00/फिंगरलिंग्स	रु. 1.50/फिंगरलिंग्स
ट. मोबाइल और इंटरनेट पर किसानों को परामर्श सेवाएँ देने के लिए पोर्टल का निर्माण				
38.	मत्स्य कृषकों को परामर्श सेवाएँ देने हेतु पोर्टल का ई-एप्लीकेशन द्वारा विस्तार कार्यक्रम	वास्तविक के अनुसार	शत प्रतिशत	शत प्रतिशत
ठ. दोनों समुद्री और अन्तर्देशीय मात्स्यिकी में सभी मात्स्यिकी संबंधित कार्यकलापों में मछली पालकों और अन्य शेयर धारकों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और क्षमता निर्माण करना				
39.	महंगाई भत्ता (डी ए)	रु. 300/ प्रशिक्षु/दिन	प्रशिक्षण कार्यक्रम की वास्तविक लागत का 100 प्रतिशत	
	यात्रा भत्ता (टी ए)	रु. 100/ प्रशिक्षु/दिन		
	रिसोर्स पर्सन हेतु मानदेय	रु. 500/ सत्र, कुल 5 सत्रों हेतु		
	प्रशिक्षण सामग्री / स्टेशनरी का वितरण (रु. 200 /प्रशिक्षु/कार्यक्रम)	न्यूनतम 50 प्रशिक्षुओं के एक बैच के लिए रु.10000 प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम।		
	प्रतिभागियों/प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान आहार, चाय नाश्ता जलपान इत्यादि (रु 250/प्रशिक्षु/दिन)	वास्तविक के अनुसार न्यूनतम 50 प्रशिक्षुओं के एक बैच के लिए प्रतिदिन रु. 12,500 की अधिकतम सीमा।		
	प्रदर्शन/स्थानीय क्षेत्र दौरा (रु 200/ प्रशिक्षु/कार्यक्रम)	न्यूनतम 50 प्रशिक्षुओं के एक बैच के प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 10,000 रु. की अधिकतम सीमा।		
	विविध व्यय	वास्तविक के अनुसार प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 5,000 रु. की अधिकतम सीमा।		
	कुल योग प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम	रु. 1,25,000.00		
IV) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड और इसकी कियाएँ।				
क. मछली बीज उत्पादन कार्यक्रम सहित ब्रूड बैंक की स्थापना (राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर)				
40.	ताजाजल ब्रूड बैंक की स्थापना (5 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर)	500 लाख/ब्रूड बैंक	250 लाख/ब्रूड बैंक	
41.	मत्स्य बीज हैचरियों, मत्स्य पूरक आहार हेतु फीड मिलों तथा मत्स्य विपणन, पोस्ट हार्वेस्ट व वैल्यू एडीशन हेतु अवसंरचना व मार्केट का विकास	समस्त परियोजनाएं एन.एफ.डी.बी. द्वारा डी.ए.डी.एफ. के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्त सम्बन्धित मदों के परियोजनानुसार संचालित की जायेंगी		
ख. कोल्ड चेन का विकास				
42.	एकीकृत कोल्डचेन के विकास हेतु फ्राई से लेकर फ्राईंग पैन जैसे- प्रसंस्करण से पूर्व, प्रसंस्करण और मछली की दुवाई (आवरण युक्त और वातानुकूलित वाहन), खुदरा बिक्री केंद्र, चलित मछली बाजार, कियोस्कों इत्यादि क्रियाओं को सम्मिलित करते हुए स्थापित करना।	वास्तविक लागत अधिकतम 500 लाख/प्रोजेक्ट	250 लाख/प्रोजेक्ट	
43.	कोल्ड चेन के विकास के विभिन्न मदों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को बिंदु (I) "समुद्री मात्स्यिकी का विकास, अवस्थापना एवं पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना " में उल्लिखित परियोजना के विवरणानुसार प्रदेश में संचालित होगी।			